बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ, (बेली रोड) पटना–800001

आवश्यक सूचना–सह–शुद्धि पत्र

शिक्षा विभाग, बिहार के अन्तर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु दिनांक–30.05.2023 को आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या–26/2023 की कंडिका–4(L) (i) राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षक के लिए CTET Paper-I अथवा BTET Paper-I उत्तीर्ण हो, के संबंध में शिक्षा विभाग के पत्रांक–582, दिनांक–17.06.2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि CTET अभ्यर्थियों के लिए BETET, 2017 के लिए लागू प्रावधानानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55 प्रतिशत अंक एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जायेगा।

साथ ही उक्त विज्ञापन की कंडिका–4 (A) के परन्तुक (iii) वर्ग 1–5 के उर्दू पदों पर नियुक्ति हेतु किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इन्टरमीडिएट (50% अंकों के साथ) के स्थान पर उर्दू में इन्टरमीडिएट **(50 अंकों के साथ)** एवं परन्तुक (iv) वर्ग 1–5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के पदों पर इण्टर में 50% अंकों का बांग्ला के स्थान पर इण्टर में **50 अंकों का बांग्ला** तथा कंडिका–6 चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत पत्र सं॰–4 विषय एवं सामान्य अध्ययन के अभ्युक्ति में उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए (वर्ग 11–12) भाग–1 विषय पत्र में शामिल वाणिज्य के स्थान पर **बिजनेस स्टडीज** पढ़ा जाय।

विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

19.6.2023

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।